

जल शक्ति मंत्रालय
मांग संख्या 63
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	76824.18	2.57	76826.75	77389.18	1.50	77390.68	29915.18	1.50	29916.68	74224.82	1.20	74226.02
वसूलियां	-256.62	...	-256.62
प्राप्तियां
निवल	76567.56	2.57	76570.13	77389.18	1.50	77390.68	29915.18	1.50	29916.68	74224.82	1.20	74226.02
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	29.26	2.57	31.83	34.28	1.50	35.78	29.18	1.50	30.68	32.82	1.20	34.02
राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्र प्रायोजित योजनाएं												
जल जीवन मिशन (जेजेएम)/राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन												
2. जल जीवन मिशन (जेजेएम)/राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन												
2.01 डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान (एसपीएम-एनआईडब्ल्यूएस)-पूर्व राष्ट्रीय पेयजल, स्वच्छता और गुणवत्ता केंद्र	0.50	...	0.50	95.00	...	95.00	56.34	...	56.34	89.53	...	89.53
2.02 मिशन प्रबंधन	1.90	...	1.90	17.75	...	17.75	5.12	...	5.12	13.50	...	13.50
2.03 संस्थानों इत्यादि को सहायता	0.10	...	0.10	5.00	...	5.00	0.10	...	0.10	5.00	...	5.00
2.04 सम्मलेन, संगोष्ठियां, प्रदर्शनी	0.38	...	0.38	2.00	...	2.00	2.09	...	2.09	2.00	...	2.00
2.05 मानव संसाधन विकास	14.04	...	14.04	5.00	...	5.00	8.63	...	8.63	2.00	...	2.00
2.06 निगरानी एवं मूल्यांकन	13.33	...	13.33	10.00	...	10.00	21.50	...	21.50	10.00	...	10.00
2.07 सूचना, शिक्षा एवं संचार	55.50	...	55.50	70.00	...	70.00	70.00	...	70.00	80.00	...	80.00
2.08 प्रबंधन सूचना प्रणाली	7.40	...	7.40	11.00	...	11.00	8.50	...	8.50	11.00	...	11.00
2.09 अनुसंधान	1.72	...	1.72	5.00	...	5.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
2.10 राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई (एनपीएमयू)	12.48	...	12.48	15.50	...	15.50	15.50	...	15.50	15.50	...	15.50
2.11 जल जीवन मिशन / राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम - कार्यक्रम घटक	69884.99	...	69884.99	69926.65	...	69926.65	22505.22	...	22505.22	66770.47	...	66770.47

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूँजी	जोड़	राजस्व	पूँजी	जोड़	राजस्व	पूँजी	जोड़	राजस्व	पूँजी	जोड़
जोड़- जल जीवन मिशन (जेजेएम)/राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन	69992.34	...	69992.34	70162.90	...	70162.90	22694.00	...	22694.00	67000.00	...	67000.00
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)												
3. स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण												
3.01 निगरानी एवं मूल्यांकन	1.00	...	1.00	0.10	...	0.10	1.00	...	1.00
3.02 मानव संसाधन विकास	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	3.00	...	3.00
3.03 अनुसंधान	0.40	...	0.40	5.15	...	5.15	0.55	...	0.55	5.30	...	5.30
3.04 सूचना - शिक्षा एवं संचार	23.96	...	23.96	87.79	...	87.79	87.79	...	87.79	87.79	...	87.79
3.05 प्रबंधन सूचना प्रणाली और कंप्यूटरीकरण	2.79	...	2.79	4.00	...	4.00	1.50	...	1.50	4.00	...	4.00
3.06 व्यावसायिक सेवाएं	3.09	...	3.09	4.00	...	4.00	5.50	...	5.50	7.90	...	7.90
3.07 ऋण पर ब्याज	1033.09	...	1033.09	1033.30	...	1033.30	1033.05	...	1033.05	1033.30	...	1033.30
3.08 कार्यक्रम घटक	5482.63	...	5482.63	6055.76	...	6055.76	6062.51	...	6062.51	6049.71	...	6049.71
जोड़- स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण	6545.96	...	6545.96	7192.00	...	7192.00	7192.00	...	7192.00	7192.00	...	7192.00
जोड़-केंद्र प्रायोजित योजनाएं	76538.30	...	76538.30	77354.90	...	77354.90	29886.00	...	29886.00	74192.00	...	74192.00
कुल जोड़	76567.56	2.57	76570.13	77389.18	1.50	77390.68	29915.18	1.50	29916.68	74224.82	1.20	74226.02
ख. विकास शीर्ष												
सामाजिक सेवाएं												
1. जल आपूर्ति और स्वच्छता	71061.78	...	71061.78	64302.85	...	64302.85	21260.01	...	21260.01	2630.94	...	2630.94
जोड़-सामाजिक सेवाएं	71061.78	...	71061.78	64302.85	...	64302.85	21260.01	...	21260.01	2630.94	...	2630.94
आर्थिक सेवाएं												
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	29.26	...	29.26	34.28	...	34.28	29.18	...	29.18	32.82	...	32.82
3. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	2.57	2.57	...	1.50	1.50	...	1.50	1.50	...	1.20	1.20
जोड़-आर्थिक सेवाएं	29.26	2.57	31.83	34.28	1.50	35.78	29.18	1.50	30.68	32.82	1.20	34.02
अन्य												
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	7632.19	...	7632.19	3189.38	...	3189.38	6828.59	...	6828.59
5. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	5235.20	...	5235.20	5169.86	...	5169.86	5185.61	...	5185.61	62594.96	...	62594.96
6. संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	241.32	...	241.32	250.00	...	250.00	251.00	...	251.00	2137.51	...	2137.51
जोड़-अन्य	5476.52	...	5476.52	13052.05	...	13052.05	8625.99	...	8625.99	71561.06	...	71561.06
कुल जोड़	76567.56	2.57	76570.13	77389.18	1.50	77390.68	29915.18	1.50	29916.68	74224.82	1.20	74226.02

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिवालय व्यय हेतु है।

2. **जल जीवन मिशन (जेजेएम)/राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन:** जल जीवन मिशन भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसका लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील घेरलू नल कनेक्शन प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत सभी ग्रामीण परिवारों को शामिल करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य परिवार स्तर पर सेवा प्रदान करना अर्थात् निर्धारित गुणवत्ता और पर्याप्त मात्रा में नियमित रूप से पेयजल की आपूर्ति करना है।

भारत सरकार ने जनजातीय लोगों के बीच सबसे कमजोर वर्गों के विकास और कल्याण के लिए वित्त वर्ष 2023-24 से प्रधान मंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) योजना शुरू की है। तदनुसार जल जीवन मिशन योजना के तहत पीएम-जनमन के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संशोधित अनुमान 2024-25 में 344.35 करोड़ रु. का अलग से प्रावधान किया गया है तथा बजट अनुमान 2025-26 में 341.70 करोड़ रुपये केंद्रीय हिस्सेदारी के रूप में आवंटित की गई है। वित्त वर्ष 2024-25 से भारत सरकार ने धरती आवा जनजातीय उत्कर्ष अभियान योजना की शुरुआत की है। तदनुसार, बजट अनुमान 2025-26 में 0.01 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

3. **स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण:** सरकार ग्रामीण क्षेत्रों को स्वच्छता संबंधी सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करने के लिए अत्यधिक महत्व दे रही है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का लक्ष्य भारत को स्वच्छ बनाना है। खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) का दर्जा हासिल करने के बाद, कार्यक्रम को सभी ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) का दर्जा सुनिश्चित करने और देश के सभी गांवों को ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था में शामिल करने के लिए लागू किया जा रहा है। इस अनुसंधान घटक में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) को देय कमीशन शुल्क भी शामिल है।